

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 326]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 अगस्त 2021—श्रावण 20, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2021

क्र. एफ-3-9-2021-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर एतद्द्वारा श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह (सेवानिवृत्त पुलिस उप महानिरीक्षक), अध्यक्ष, संभागीय सतर्कता समिति, सागर को कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 03 वर्ष तक के लिए संभागीय सतर्कता समिति, रीवा संभाग रीवा में सदस्य के पद पर नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मधु नाहर, उपसचिव.